Admin-A-3
65
16.08.19

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–यू0ओ0–44/छ–पु0–9–19–85जी/98–न्याय–2
लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2019

अधिसूचना

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से श्रीमती प्रतीक्षा नागर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ को उक्त अधिनियम के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान द्वारा अन्वेषित आयुर्वेद घोटाला से सम्बन्धित अपराधों का विचारण करने के लिए शासनादेश संख्या–3386/सात–न्याय–2–85जी/98, दिनांक 09 नवम्बर, 2000 द्वारा स्थापित किये गये अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विशेष न्यायाधीश के रूप में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नियुक्त करते हैं। ऐसे विशेष न्यायाधीश न्यायालय को न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (आयुर्वेद घोटाला) के रूप में अभिहित किया जायेगा और उसके बैठने का स्थान लखनऊ में होगा।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–यू0ओ0–44(1)/छः–पु0–9–19–85जी/98–न्याय–2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को दिनांक 14 अगस्त, 2019 के असाधारण गजट भाग–4 खण्ड ''ख'' के परिनियत आदेश में प्रकाशनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियॉ इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या–यू0ओ0–44(2)/छः–पु0–9–19–85जी/98–न्याय–2, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2– निबन्धक (जे) (सेवाएं), मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक–9995/Main-B/Admin. (A-3), दिनांक 29.07.2019 के कम में।
3– जिला जज लखनऊ।
4– निदेशक, अभियोजन ब्यूरो, लखनऊ।
5– न्याय अनुभाग–2(बजट), उ0प्र0 शासन।
6– गोपन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
7– गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
NOTIFICATION
Administrative (A-3) Section

No. 11241/Admin (A-3): Allahabad, dated 21/08/2019.

Copy in confirmation of the above Government Notification No. U.O.44/VI-P-9-19-85G/98-Nyay-2, dated 14.08.2019 (Hindi & English versions both) forwarded for information and necessary action to :-

Contd.-2

1. The District and Sessions Judge, Lucknow.

2. Smt. Pratiksha Nagar, Additional District & Sessions Judge, Lucknow

3. The Officer-On-Special Duty/In-charge Computer Center, High Court, Allahabad with the request to Upload the said Notification **forthwith,** on the Official Website of High Court of Judicature at Allahabad.

4. The Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

5. P.S. To Hon'ble Administrative Judge, Lucknow with the request to place it before his Lordship's kind perusal.

21.3.19

Registrar (J) (Services)

UTTAR PRADESH SHASAN
GRIH (POLICE) ANUBHAG-9

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.- U.O-44/VI-P-9-19-85G/98-Nyay-2, dated 14 ,2019.

NOTIFICATION

No.- U.O-44/VI-P-9-19-85G/98-Nyay-2,
Lucknow: dated August 14 ,2019.

In exercise of the powers under sub section (1) of section 3 and sub-section (2) of section 4 of the Prevention of Corruption Act,1988 (Act no. 49 of 1988) the Governor, in consultation with the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to appoint with effect from the date of publication of this notification in Gazette Smt. Pratiksha Nagar, Additional District and Session Judge, Lucknow in the court of Additional District and Session Judge established vide Government order no.3386/VII-Nyaya-2-85G/98, dated November 9, 2000 as Special Judge to try the offences under the said Act relating to Ayurved Scam investigated by Delhi Special Police Establishment. The court of such Special Judge shall be designated as the Court of Special Judge (Ayurved Scam) and its place of sitting shall be at Lucknow.

By Order,

(Awanish kumar awasthi)
Additional Chief Secretary.